राजभाषा :

प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है—राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने की सुविधा हो। राजभाषा से राजा (शासक) की भाषा अथवा राज्य की भाषा दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं। केंद्र की राजभाषा को संघभाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्त्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से चार क्षेत्रों में किया जाता है—शासन, विधान, न्यायपालिका एवं विधानपालिका। स्वतन्त्र भारत में नए संविधान की रचना तथा भारत के गणराज्य बन जाने पर भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व 'राष्ट्रभाषा' शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था, जिस अर्थ में आज 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात् संविधान में स्वीकृति के बाद इसका प्रयोग प्रारम्भ हुआ। हिन्दी के प्राथमिक स्वरूप का विकास उत्तर अपभ्रंशकालीन भाषा से ग्यारहवीं शताब्दी से हुआ। प्राचीन काल के सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि देवनागरी का प्रयोग मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिलता है। इस सम्पर्क भाषा का और अधिक विकास तब हुआ जब 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण में गए। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मालवा, बरार, खानदेश एवं गुजरात को मिलाकर दक्खिन प्रदेश बनाया। उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त शेष सभी व्यापारी एवं श्रमिक घर-बाहर सभी जगह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। सिकन्दर लोदी के शासनकाल में भी राज्य का हिसाब-किताब हिन्दी में होता था। शेरशाह शूरी के सिक्कों में नागरी तथा फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। मुगलों की राजकाज की भाषा फारसी भले ही ऊपरी तौर पर हो पर चूँकि यह बोलचाल की भाषा नहीं थी इसलिए उस समय भी पंजाब, कश्मीर, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यभारत आदि में हिन्दी सहराजभाषा के रूप में विकसित हो रही थी। जिलास्तर पर आज प्रशासनिक भाषा का जो ढाँचा है, उसकी बहुत कुछ देन मुगलकाल की है। औरंगजेब के शासनकाल तक तो हिन्दी की विविध शैलियाँ प्रयुक्त होने लगीं। मराठा प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग व्यापक रूप में मिलता है। मराठा प्रशासन में ताम्रपत्र लिखने, मराठी से हिन्दी भाषा में अनुवाद, राजनीतिक समझौते, सेना प्रशासन में हिन्दी का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिन्दी में होता था। ग्वालियर नरेश महाराज सयाजी राव सिंधिया ने दीवान शेख गुलाम हुसैन को यह 27.11.1853 आज्ञा प्रचारित की कि फारसी शब्दों का प्रयोग करने पर दंड की व्यवस्था की गयी है। हिन्दी क्षेत्र से इतर देशी राज्यों में भी हिन्दी को प्रश्रय था। बड़ौदा नरेश की आज्ञा से 'सयाजी शासन शब्द कल्पतरु' शीर्षक से प्रशासन शब्दकोश तैयार किया गया, उसमें गुजराती, बंगला, मराठी, फारसी के अतिरिक्त हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी भी दिये गए हैं।

बीसवीं शताब्दी के मध्य से 1947 से जब भारत विदेशी साम्राज्य के बन्धन से मुक्त होकर स्वायत्त लोकतन्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा पृथक् रूप से परिभाषित की गयी। यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर आज संयोगवश हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, पर सैद्धान्तिक तौर पर दोनों की अवधारणा पृथक्-पृथक् है। दोनों के स्वरूप में कुछ मूलभूत अन्तर हैं, यथा (i) राष्ट्रभाषा सदैव लोकभाषा होती है, पर राजभाषा कभी-कभी विदेशी भी हो सकती है। जब भारत में हिन्दू साम्राज्य का पतन हुआ और धर्मान्ध इस्लाम की विजय-पताका के अधीन सारा भारत आ गया तो भारत का सारा राजकाज फारसी भाषा में चलने लगा। इसी प्रकार जब मुगल-साम्राज्य का पतन हुआ और अंगरेजों के पाँव भारत में जम गए, तब भारत का सारा राजकाज अंगरेजी भाषा में चलने लगा। ब्रिटिश भारत में अंगरेजी राजभाषा थी, निजाम के हैदराबाद में उर्दू, फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी और चन्दननगर में फ्रांसीसी तथा गोआ-दमन में पोर्तुगीज भाषा राजभाषा के पद पर बैठायी गयी। राष्ट्रभाषा सर्वसाधारण-व्यापिनी होती है, जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र झलकता है एवं राजभाषा शासनसूत्र में सीमित होती है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विदेशी भाषा भी शासन के साथ राजभाषा बनती है, किन्तु राष्ट्रभाषा तो निश्चयतः अपने देश की ही भाषा होगी। (ii) राष्ट्रभाषा का शब्द-भाण्डार देश की विविध बोलियों, उपभाषाओं आदि से समृद्ध होता है। इसमें लोकप्रयोग के अनुसार नयी शब्दावली जुड़ती चली जाती है। परन्तु राजभाषा का शब्द-भाण्डार एक सुनिश्चित साँचे में ढला हुआ प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियों तक सीमित होता है। (iii) राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा ध्वनित होती है। सम्पूर्ण देश की जनता का चिन्तन, उसकी संस्कृति, विश्वास, धर्म, सामाजिक अवधारणाएँ, जीवन के वैविध्यपूर्ण व्यावहारिक पहलू, लौकिक-आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, लोक-नीति सम्बन्धी विविध विचार एवं दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही मुखर होते हैं। पर राजभाषा वैधानिक आवरण से आवृत होता है। उसमें अधिकांश कानूनी और संवैधानिक नियम-विधान एवं उनसे सम्बन्धित विवेचन-विश्लेषण किया जाता है। (iv) राष्ट्रभाषा राष्ट्र के सभी सार्वजनिक स्थलों, सांस्कृतिक केन्द्रों, तीर्थों, सभास्थलों, गली-मुहल्लों, हाट-बाजारों, मेलों-उत्सवों आदि में प्रयुक्त होती है, पर राजभाषा का प्रयोग-क्षेत्र कार्यालयों की चारदीवारी तक ही सीमित होती है। (v) देश के अधिकतर भागों में आम जनता जिस भाषा में आपसी वार्तालाप, विचाराभिव्यक्ति एवं लोक-व्यवहार करते हैं, वह राष्ट्रभाषा होती है। अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय कामकाज के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। चूँकि विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, इसलिए राजभाषा का प्रयोग प्रायः राजकीय, प्रशासकीय, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा होता है।

भारत की संविधानसभा के निर्णय के पूर्व, हिन्दी के अखिल-भारतीय स्वरूप और उसकी अन्तःप्रान्तीय प्रेषण-क्षमता की पहचान कर विदेशी व्यापारी, प्रशासक वर्ग, देश के समाज-सुधारकों, नेता वर्गों ने राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकीकरण की निर्मिति एवं प्रचार

में उसे राष्ट्रभाषा-विशेषण से सम्बोधित किया था, पर संविधान-सभा के राजभाषा सम्बन्धी निर्णय के पश्चात् यह संदर्भ और प्रसंग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के साथ-साथ अन्य चौदह भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये सारी भाषाएँ संविधान-निर्माण के समय के चौदह राज्यों की अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाएँ हैं और अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ में उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संवैधानिक स्थिति यह होती है कि हिन्दी, भारतीय संविधान में उल्लिखित पन्द्रह प्रादेशिक भाषाओं में से वह एक प्रादेशिक भाषा है जो भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार की गयी है। पूरे संविधान में 'राष्ट्रभाषा' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा-सम्बन्धी उपबन्ध हैं। भाग 17 का शीर्षक 'राजभाषा' है। इस भाग में चार अध्याय हैं, जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएँ, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देश से सम्बन्धित हैं। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अन्तर्गत समाहित हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 में संसद एवं विधानमंडलों की भाषा के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी राजभाषा शब्द की कोई परिभाषा या व्याख्या नहीं दी गयी है। 'राजभाषा' का प्रारम्भिक उल्लेख अनुच्छेद 343 (i) में इस प्रकार किया गया है—"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।" इसके अतिरिक्त जहाँ-जहाँ भी 'राजभाषा' शब्द का उल्लेख संघ की राजभाषा या राज्यों की राजभाषाओं के संदर्भ में हुआ है और उसके अनेक प्रयोजनों में एक प्रयोजन 'प्रशासकीय प्रयोजन' बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ में 'प्रशासकीय प्रयोजन' के लिए हुआ है। परन्तु अनुच्छेद 351 में हिन्दी के प्रसार और विकास के सम्बन्ध में अनेक निर्देश दिये गये हैं, इसका अभिप्राय यह है कि संविधान-निर्माताओं के मन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के विकास की संकल्पना निहित थी। 351 अनुच्छेद में प्रयुक्त 'हिन्दी भाषा' का अर्थ केवल राजभाषा हिन्दी तक ही सीमित न होकर राष्ट्रभाषा और सार्वदेशिक सम्पर्क भाषा तक व्याप्त है। इसी अनुच्छेद में हिन्दी भाषा के विकास का लक्ष्य भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकने वाली भाषा जैसी क्षमता प्राप्त कर लेना बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान में 'राजभाषा' शब्द के प्रयोग के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा हिन्दी, सम्पर्क भाषा हिन्दी और भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना कर सकने वाली भाषा के रूप में हिन्दी का अभिप्राय विद्यमान है। 14 सितंबर, 1949 को जब संविधानसभा में 'राजभाषा' सम्बन्धी भाग स्वीकृत हुआ तब संविधानसभा के अध्यक्ष *डॉ० राजेन्द्र प्रसाद* ने कहा– *"आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और जिसे समय के अनुसार अपने-आप को ढालना और विकसित करना होगा। हमने अपने देश का*

राजनीतिक एकीकरण सम्पन्न किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी।" अंगरेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही और भी एक दूसरे के निकट आयेंगे। भारतीय संविधान में राजभाषा-सम्बन्धी प्रमुख प्रावधानों एवं उपबन्धों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है–(क) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-5, अनु० 120), (ख) विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-6, अनु० 210) (ग) संघ की राजभाषा (भाग-17, अनु० 343); (घ) विधि- निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा (भाग-17, अनु० 348)।

यह तय है कि भारत की पाँच प्रतिशत अंगरेजी पूरे लोकतंत्र देश का पर्याय नहीं बन सकते। जब तक देश का काम देश की भाषा में नहीं होगा, जनता से सम्बन्ध होना असम्भव है। राजभाषा हिन्दी की समस्याएँ निश्चित रूप से ऐसी नहीं हैं, जिनको सुलझाना कठिन हो। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए योग्य संसाधन अनिवार्य है।